





एफजी को इस शर्त के अनुसार लागू बीमा का विवरण प्रदान किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा इस शर्त के अनुसार लागू किसी भी नीति को अमान्य करने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा।

## 16 अनुपालन

16.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा हर समय:

- सभी लागू कानूनों, प्रासंगिक तकनीकी, पेशेवर या अन्य लागू मानकों के अनुपालन में प्रत्येक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन किया जाएगा;
- प्रलोरा एफजी की नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा;
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह सभी सहमति, लाइसेंस और अनुमतियाँ (वैधानिक, विनियामक, संचालनात्मक या अन्यथा रूप से) प्राप्त करता हो और बनाए रखता हो जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है और जो उसे अनुबंध में अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों; और
- ऐसा कुछ भी न किया जाएगा और न ही करेगा जिससे प्रलोरा एफजी किसी भी लाइसेंस, प्राधिकार, सहमति या अनुमति को खो दे, जिस पर वह अपने व्यवसाय के संचालन के उद्देश्यों के लिए निर्भर है, और आपूर्तिकर्ता यह स्वीकार करता है कि प्रलोरा एफजी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा पर आपूर्तिकर्ता भरोसा या कामा कर सकता है।

## 16.2 डेटा संरक्षण

उस सीमा तक जहां तक एक पक्ष इन शर्तों के अनुसार किए गए किसी भी अनुबंध के संबंध में दूसरे पक्ष से व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करता है, प्रत्येक पक्ष यह स्वीकार करता है कि वह किसी भी व्यक्तिगत डेटा के संबंध में डेटा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है जो उसे प्राप्त होता है और जिसे अनुबंध के अनुसार प्रोसेस किया जाता है। प्रत्येक पक्ष दूसरे को इस बात का आश्वासन देता है कि ऐसे व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करते समय वह सभी डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करेगा। किसी भी समय, यदि प्रलोरा एफजी इसे आवश्यक समझे, तो पक्ष अनुबंध के अनुसार किसी भी व्यक्तिगत डेटा के संबंध में डेटा प्रोसेसिंग समझौते करेंगे। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रलोरा एफजी से प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत डेटा को UK या EEA के बाहर (i) प्रलोरा एफजी की पूर्ण लिखित सहमति और/या (ii) के बिना स्थानांतरित नहीं करेगा, जब तक कि स्थानांतरण लागू डेटा संरक्षण कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने वाले देश में स्वीकृत न हो या लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय (जैसे मानक संचालनात्मक उपनियम) या बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम मौजूद न हों।

## 17 समाप्ति

- 17.1 किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा यदि:
  - दूसरा पक्ष अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का उल्लंघन करेगा जो जिसका उपचारात्मक उपाय करना असंभव हो;
  - दूसरा पक्ष अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करता जो जो उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम है और इसका उपचारात्मक उपाय करने में विफल रहता है या सुधार करने या रोकने के लिए लिखित रूप में तीस (30) दिनों के बाद भी ऐसा उल्लंघन जारी रखता हो;
  - दूसरा पक्ष दिवालिया हो जाता हो या उसके दिवालिया होने की उचित संभावना है, दिवालियापन, व्यक्तिगत स्वैच्छिक व्यवस्था, परिसमापन, समापन, रिसीवरशिप या प्रशासनिक रिसीवरशिप, प्रशासन, एक कॉर्पोरेट स्वैच्छिक व्यवस्था अपनाता हो या लेनदारों के साथ किसी भी ऋण का समझौता करता हो या किसी भी क्षेत्राधिकार के सम्मान में कोई कार्यवाही करता हो, जिसके अधीन यह है, या ऐसे क्षेत्राधिकार में कोई घटना घटती है जिसका प्रभाव इस शर्त **Error! Reference source not found.** Error! Reference source not found. में किसी भी घटना के बराबर या समान होता है और/या
  - दूसरा पक्ष अपने व्यवसाय के सभी या बड़े हिस्से को जारी रखने से रोकता हो या समाप्त करने की मांग करने वाले पक्ष की उचित राय में प्रकट होता हो, इस बात की संभावना हो या बंद करने की धमकी दे रहा हो।

## 18 समाप्ति के परिणाम

18.1 अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष के अधिकारों और उपचारात्मक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो समाप्ति की तिथि तक उत्पन्न हो सकते हैं।

18.2 किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति पर:

- उपरोक्त शर्त **Error! Reference source not found.** के अधीन, पक्षों का संबंध इस शर्त में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए (और सीमा तक) को छोड़कर समाप्त हो जाएगा **Error! Reference source not found.**;
- आपूर्तिकर्ता द्वारा तुरंत प्रलोरा एफजी को सभी प्रदेयों को वितरित किया जाएगा, चाहे वे पूर्ण हों या नहीं, और किसी भी प्रतियों सहित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सभी सामग्री वापस कर दिया जाएगा।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा, प्रलोरा एफजी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, प्रलोरा एफजी या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी नए आपूर्तिकर्ता को सेवाओं के सुचारु हस्तांतरण की सुविधा के लिए प्रलोरा एफजी द्वारा आवश्यक सभी उचित सहायता प्रदान किया जाएगा; और
- कोई भी प्रावधान जो स्पष्ट रूप से या अनुमान द्वारा समाप्ति पर या उसके बाद लागू होने या लागू होने वाला हो, पूरी क्षमता और प्रभाव में जारी रहेगा;

## 19 कोई कर्मचारी हस्तांतरण नहीं

19.1 वह पक्षों का इरादा हो कि न तो अनुबंध या किसी भी सेवा की शुरुआत और न ही समाप्ति से किसी भी कर्मचारी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण होगा, चाहे वह आपूर्तिकर्ता या उसके सब-कॉन्ट्रैक्टरों से या प्रलोरा एफजी (या प्रलोरा एफजी समूह का कोई भी सदस्य) के सब-कॉन्ट्रैक्टर से हो या इसके लिए हो।

## 20 गोपनीयता

20.1 प्रत्येक पक्ष अनुबंध के तहत आने वाले पक्षों के संबंध में के परिणामस्वरूप प्रकट या प्राप्त की गई अन्य पक्ष से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी को गुप्त और गोपनीय रखेगा और अनुबंध का निष्पादन या दूसरे पक्ष की पूर्ण लिखित सहमति से उचित प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग या खुलासा नहीं करेगा।

## 21 सामान्य

21.1 अनुबंध आपूर्तिकर्ता का व्यक्तिगत है। आपूर्तिकर्ता प्रलोरा एफजी की पूर्ण लिखित सहमति के बिना अनुबंध के तहत आने वाले अपने सभी या किसी भी अधिकार और जिम्मेदारियों को सौंपना नहीं, प्रत्यायोजित, उप-अनुबंधित, हस्तांतरित, प्रभारित या अन्यथा निपटान नहीं करेगा।

21.2 प्रलोरा एफजी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आपूर्तिकर्ता उन घटकों और/या सेवाओं को खरीदेगा जो प्रलोरा एफजी द्वारा नामित तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर वाली वस्तु और/या सेवाओं और/या प्रदेयों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक हैं।

प्रलोरा एफजी ऐसे तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत कीमतों पर बातचीत कर सकता है लेकिन आपूर्तिकर्ता इस बात को स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह ऐसे तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध करने और भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

21.3 प्रलोरा एफजी आपूर्तिकर्ता की पूर्ण लिखित सहमति के बिना किसी भी समय अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और जिम्मेदारियों को सौंप सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है, उप-अनुबंधित, हस्तांतरित, प्रभारित या अन्यथा निपटान कर सकता है।

21.4 शर्त के अधीन **Error! Reference source not found.**, वह व्यक्ति जो अनुबंध का पक्ष नहीं है, उसके पास अनुबंध के किसी भी प्रावधान को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है (चाहे UK कानून के तहत जिसे अनुबंध (तीसरे पक्ष के अधिकार) अधिनियम 1999 या इसी तरह के स्थानीय कानून के रूप में जाना जाता हो)।

21.5 प्रलोरा एफजी समूह के सभी सदस्य अनुबंध के प्रावधानों को शर्तों **Error! Reference source not**

**found.** के अधीन और UK कानून के प्रावधानों के अनुसार लागू कर सकते हैं जिन्हें अनुबंध (तीसरे पक्ष का अधिकार) अधिनियम 1999 या इसी तरह के स्थानीय कानून के रूप में जाना जाता है।

21.6 अनुबंध के तहत किसी भी बदलाव, छूट या निपटान को समाप्त करने, रद्द करने या सहमत होने के पक्षों के अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहमति के अधीन नहीं हैं जो अनुबंध का पक्ष न हो।

21.7 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के क्रेडिट को गिरवी नहीं रखेगा, न ही खुद को दूसरे पक्ष, एजेंट, भागीदार, कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करेगा या दूसरे पक्ष का प्रतिनिधि नहीं लेरेगा और कोई भी पक्ष खुद को इस तरह से बाहर नहीं रखेगा और न ही उसके पास दूसरे पक्ष की ओर से किसी भी प्रकृति का कोई भी दायित्व, स्पष्ट या निहित रूप में ऐसा करने की कोई अधिकार नहीं होगा। अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंतर्गत और अनुबंध के पालन में पक्षों द्वारा की गई कोई भी कार्यवाई पक्षों के बीच नियोजित और कर्मचारी या प्रिंसिपल और एजेंट की साझेदारी या संयुक्त उद्यम या संबंध नहीं बनाती है, या बनाने के लिए नहीं मानी जाती है।

21.8 आपूर्तिकर्ता, किसी भी वस्तु और/या प्रदेयों, सेवाओं से संबंधित किसी भी सामग्री या आपूर्तिकर्ता के अधिकार में प्रलोरा एफजी की किसी अन्य संपत्ति पर, अनुबंध के तहत यों अन्यथा आपूर्तिकर्ता को प्रलोरा एफजी द्वारा किसी भी बकाया राशि के संबंध में, सामान्य या अन्यथा रूप से प्रणयाधिकार के किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

## 21.9 संपूर्ण समझौता

(a) अनुबंध में इसकी विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौता शामिल है और ऐसी विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी पूर्व समझौता, लिखित या मौखिक समझौतों के अर्थ की जगह लेता है।

(b) पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुबंध पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भरता में तैयार नहीं किया गया है, न ही अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित शर्तों के अलावा किसी भी पक्ष को दूसरे या उसकी ओर से कोई वारंटी, वक्तव्य, वादा या प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

(c) प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत होता है कि किसी भी वारंटी, वक्तव्य, वादे या अभ्यावेदन से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में उसके लिए उल्लेख्य एक्सात्र अधिकार और समाधान अनुबंध के उल्लंघन के लिए होंगे और अपरिवर्तनीय और बिना शर्त किसी भी दावे, अधिकार के किसी भी अधिकार को माफ कर देगा या समाधान जिसमें अनुबंध को रद्द करने का कोई भी अधिकार शामिल हो जो अन्यथा रूप से उनके संबंध में हो सकता था।

## 21.10 व्यतिकारी उपबंध

यदि किसी भी समय अनुबंध का कोई भी हिस्सा किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी कारण से रिक्त या अन्यथा रूप से अप्रवर्तनीय माना जाता हो, तो उसे अनुबंध से हटा हुआ माना जाएगा और अनुबंध के बाकी प्रावधानों की वैधता और/या प्रवर्तनीयता को उस चूक के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से प्रभावित या अनुचित नहीं माना जाएगा।

## 21.11 छूट

अनुबंध के संबंध में किसी भी पक्ष के अधिकार और उपचारात्मक उपाय उस पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को न ही किसी विफलता या पता लगाने में देरी होने द्वारा या ऐसे किसी भी अधिकार या उपाय का प्रयोग करने द्वारा दी गई किसी छूट, सहिष्णुता या समय के विस्तार से कम नहीं होंगे, माफ नहीं किए जाएंगे या समाप्त नहीं किए जाएंगे। अनुबंध के किसी भी उल्लंघन की छूट लिखित रूप में होगी। अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के लिए किसी भी पक्ष द्वारा छूट से उस प्रावधान के बाद के प्रवर्तन को नहीं रोकने का कोई भी अधिकार अन्य प्रावधान के किसी भी बाद के उल्लंघन की छूट नहीं मानी जाएगी।

## 21.12 बदलाव

अनुबंध में किया जाने वाला कोई भी कथित परिवर्तन या बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न हो, विशेष रूप से अनुबंध को संदर्भित करता हो और अनुबंध के प्रत्येक पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

## 21.13 नोटिस

(a) अनुबंध के तहत भेजा गया कोई भी नोटिस लिखित रूप में होना चाहिए। ईमेल द्वारा दिए जाने वाले नोटिस को लिखित नोटिस माना जाएगा।

व्यक्तिगत डिलीवरी, प्रोपेड रिफ्लेक्ट डिलीवरी सेवा या ईमेल द्वारा संबंधित पक्ष के पंजीकृत कार्यालय या ऐसे अन्य पते पर नोटिस भेजे जा सकते हैं जो संबंधित पक्ष अनुबंध के तहत नोटिस की सेवा के उद्देश्य से दे सकते हैं। 21.14 भाषा  
ये शर्त अंग्रेजी में हैं और प्रलोरा एफजी के निगमन के देश की स्थानीय भाषा में हैं। इस अनुबंध के अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषा संस्करण के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि, संचालन कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, अंग्रेजी भाषा संस्करण हमेशा मान्य रहेगा।

## (b)

## 22 विवाद समाधान प्रक्रिया

22.1 यदि शर्तों या किसी अनुबंध या उनमें से किसी के प्रदर्शन, वैधता या प्रवर्तनीयता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षों को अपने संबंधित खाता प्रबंधकों के माध्यम से और फिर उनके संबंधित अधिप्राप्ति निदेशक (या समकक्ष) के माध्यम से, और फिर उनके संबंधित CFOs / COOs के माध्यम से आंतरिक रूप से मुद्दे को बढ़ाकर विवाद का समाधान करने का प्रयास सद्भावना के साथ करना चाहिए। विवाद के प्रत्येक स्तर पर, शामिल पक्षों द्वारा विवाद को सुलझाने के लिए सभी उचित प्रयास किया जाएगा।

22.2 यदि, शर्त 22.1 में निर्धारित प्रत्येक स्तर के माध्यम से बढ़ने के बाद, पक्षों द्वारा विवाद को हल करने में विफल होते हैं तो पक्ष अदालतों के अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए मामले को ले जा सकते हैं।

## 23 कानून एवं क्षेत्राधिकार

23.1 अनुबंध, ये शर्तें और इनमें से किसी भी मुद्दे, विवाद या दावों से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में (चाहे संचालनात्मक या गैर-संचालनात्मक प्रकृति जैसे कि क्षति में दावे, कानून या विनियमन के उल्लंघन से या अन्यथा रूप से) प्रशासित होंगे और उस देश के कानूनों के अनुसार देखा जाता है जिसमें प्रलोरा एफजी (जैसा कि ऊपर परिभाषित है) पंजीकृत है।

23.2 पहले शर्त **Error! Reference source not found.** (विवाद समाधान प्रक्रिया) का अनुपालन, अनुबंध और/या इन शर्तों से उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी विवाद या दावे उस देश की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जिसमें प्रलोरा एफजी (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है) पंजीकृत है जिसे पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करती हैं।